परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

मु॰प्र॰प्रा॰/मे॰/

पत्रांकः 133 रो/2019–130जन/87/2019 दिनांक 09 सितम्बर, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः एक दिशा में 300 कि.मी. से अधिक दूरी के गन्तव्य हेतु संचालित रात्रि सेवाओं पर चालक से डियूटी लिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 835रो/2019–130जन/87/2019 दिनांक 12 जुलाई 2019 एवं आउटशेडिंग के समय बसों की 13 बिन्दुओं पर जांच के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र संख्या 2166 एमटी/19–146 एमटी/13 दिनांक 18 जुलाई, 2019 (छायाप्रतियां संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आप अवगत हैं कि मोटर वाहन कर्मियों की ड्यूटी मोटर ट्रान्सपोर्ट वकर्स एक्ट 1961 के उपबन्धों के आधार पर निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार प्रत्येक चालक से एक दिन में 08 घंटा तथा सप्ताह में 48 घंटा लिया जा सकता है, जो कि अधिकतम 10 घंटा प्रतिदिन एवं 54 घंटा प्रति सप्ताह हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि निगम में कार्यरत् संविदा चालकों की संख्या नियमित चालकों से अधिक होने, संविदा चालकों की प्रति कि0मी0 आधारित भुगतान प्रक्रिया अंतर्गत देय मासिक पारिश्रमिक, बसों की तकनीक दशा तथा सड़कों की भौतिक दशा में सुधार एवं नये एक्सप्रेस–वे निर्माण से बसों द्वारा मार्ग पर संचालन में लगने वाले समय में कमी आयी है। इस परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य को समुचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु संचालन में आशातीत वृद्धि किया जाना भी आवश्यक है।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र संख्या 2166 एमटी/19–146 एमटी/13 दिनांक 18 जुलाई, 2019 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 1–में दिये गये निर्देश "बस पर दो चालक मार्ग पर भेजे जाने हेतु तैनात हो" का अनुपालन परिपत्र संख्या 835रो/2019–130जन/87/19 दिनांक 12 जुलाई 2019 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार ही किया जाय। रात्रिकालीन सेवाओं पर मानक के अनुसार निर्धारित विश्राम करने के पश्चात ही चालकों से ड्यूटी ली जाये। यात्री सुरक्षा से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(डा. राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (संचालन)/व्यवस्थाधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. गार्ड पत्रावली

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com

Scanned by CamScanner